

**थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़**

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, थाना हथिगवां पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म करने के अभियोग में 02 वाँछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार

थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा मोड के पास से किया गया गिरफ्तार

प्रतापगढ़-

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत वादिनी की नाबालिक पुत्री को आरोपी द्वारा अपने साथियों के सहयोग से भगा ले जाने के प्रकरण में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में अन्तर्गत धारा 137(2), 142 बीएनएस बनाम 03 नामजद अभियुक्त/अभियुक्ता के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह थाना हथिगवां के नेतृत्व में दि०- 31.10.2024 को उ०नि० रमेश कुमार तिवारी मय हमराह हे०का० सत्येन्द्र सिंह, का० चन्द्रपाल सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित वारण्टी, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां के मुकदमा अन्तर्गत धारा 137(2), 74(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तों 1- विद्यासागर भारतीय उर्फ सागर पुत्र रामसजीवन भारतीय निवासी जीव नरायणपुर गारापुर थाना थरवई जनपद प्रयागराज, 2- रवि बहेलिया पुत्र स्व० रामकृपाल निवासी ग्राम सराय चन्द्रभान खास समसपुर थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज को क्षेत्रान्तर्गत कूड़ा मोड के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- 1- विद्यासागर भारतीय उर्फ सागर पुत्र रामसजीवन भारतीय निवासी जीव नरायणपुर गारापुर थाना थरवई जनपद प्रयागराज,
- 2- रवि बहेलिया पुत्र स्व० रामकृपाल निवासी ग्राम सराय चन्द्रभान खास समसपुर थाना होलागढ़ जनपद प्रयागराज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ०नि० रमेश कुमार तिवारी मय हमराह हे०का० सत्येन्द्र सिंह, का० चन्द्रपाल सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

**थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़**

-हत्या का प्रयास, धमकी, मारपीट, गाली गलौज के प्रकरण से संबंधित 01 वाँछित अभियुक्त व 01 बाल अपचारी गिरफ्तार

-थाना हथिगवां पुलिस टीम द्वारा महाराजपुर के पास बने मन्दिर के पास से अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया

घटना का संक्षिप्त का विवरण-

दिनांक 28.10.2024 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत वादी के साथ आरोपीगणों द्वारा लाठी-डंडा, कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला करना, धमकी, मारपीट, गाली गलौज के प्रकरण में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हथिगवां में अन्तर्गत धारा 126(2),115(2),352,109 बीएनएस का अभियोग बनाम 04 नामजद पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री नन्दलाल सिंह थाना हथिगवां के नेतृत्व में दि०- 31.10.2024 को उ०नि० अमित कुमार चौहान मय हमराह हे०का० कृष्णदेव यादव, का० कुलदीप सिंह, मानवेन्द्र सिंह, द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित वारण्टी, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना हथिगवां के अन्तर्गत धारा 126(2),115(2), 352,109 बीएनएस से संबंधित अभियुक्त 01.अनुज तिवारी पुत्र स्व० धमेन्द्र तिवारी उम्र धन्नू निवासी ग्राम मल्ला का पूरवा मजरा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ व 01. बालअपचारी को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत महाराजपुर के पास बने मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण-

01-अनुज तिवारी पुत्र स्व० धमेन्द्र तिवारी उम्र धन्नू निवासी ग्राम मल्ला का पूरवा मजरा थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

02- 01बालअपचारी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ०नि० अमित कुमार चौहान मय हमराह हे०का० कृष्णदेव यादव, का० कुलदीप सिंह, मानवेन्द्र सिंह थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़।

### **थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़**

थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा लूट, मारपीट, गाली गलौज करने के अभियोग में 01 वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

-लूट, मारपीट, गाली गलौज करने के अभियोग में 01 वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

-थाना सांगीपुर पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम तेलियानी के पास से किया गया गिरफ्तार

-अभियुक्त के कब्जे से लूट के 972/- रुपये बरामद

प्रतापगढ़-

दिनांक 09.09.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत आरोपीगणों द्वारा वादी के भाई के साथ लूट, मारपीट, गाली गलौज आदि आरोपों में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सांगीपुर में मु०अ०सं०- 180/24 धारा 304,115(2), 191(2),352,351(2)351(3), 117(2) बीएनएस बनाम 04 नामजद अभियुक्त व 04 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण थानाध्यक्ष श्री मनीष कुमार त्रिपाठी थाना सांगीपुर के नेतृत्व में दि०-

31.10.2024 को उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे, का0 रामप्रकाश द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वाँछित वारण्टी, विवेचना के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर के मु0अ0सं0- 180/24 धारा 311,115(2), 191(2),117(2), 352,351(2)351(3), 317(2) बीएनएस से संबंधित 01 वाँछित अभियुक्त कुलदीप सिंह उर्फ दादा पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सराय तिहाइत थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को लूट के 972/-रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(3) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि साहब दिनांक 09.09.2024 को मैं और मेरे साथियों ने मिलकर लखराव में दीपक सिंह जनरल स्टोर की दुकान पर ही मारापीटा था वहाँ से भागते समय कुछ पैसे व अंगूठी लूट लिये लिये थे। जो रूपये आज मेरे पास से मिले हैं। उसी घटना के हैं। बाकी के पैसे खर्च हो गये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- अभियुक्त कुलदीप सिंह उर्फ दादा पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सराय तिहाइत थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

आपराधिक इतिहास

कुलदीप सिंह उर्फ दादा पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सरायतिहईत थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़

1. मु0अ0सं0 278/2009 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
2. मु0अ0सं0 252/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
3. मु0अ0सं0 102/2013 धारा 147/148/452/323/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
4. मु0अ0सं0 86/2015 धारा 323/504/506 भादवि व 3(1)द SC/ST Act थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
5. मु0अ0सं0 102/2024 धारा 323/504/506 भादवि थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
6. मु0अ0सं0 111/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।
7. मु0अ0सं0- 180/24 धारा 304,115(2), 191(2), 352,351(2) 351(3),117(2) बीएनएस थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- लूट के 972/-रूपये बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

उ0नि0 सचिन पटेल मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे, का0 रामप्रकाश थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।